राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प. 7(51)परि/नियम/मु0/1995/पार्ट–I/15539 जयपुर, दिनांक : 24.12.2012

कार्यालय आदेश संख्या 24/2012

विषय : परिवहन यान के चालकों की प्रतिवर्ष मेडीकल जांच करवाने बाबत्।

हाल ही राज्य में काफी संख्या में सड़क दुर्घटना घटित हुई है। राज्य में बढती हई सड़क दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में यह मंशा जाहिर की गयी है कि समस्त परिवहन वाहनों के चालकों की मेडीकल फिटनेस जांच प्रतिवर्ष कराई जावे।

मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी अनुज्ञप्ति अधिकारी किसी भी समय, किसी लाईसेंस धारक को वह मेडीकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत निर्देश प्रदान कर सकता है जो कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 8 की उप–धारा (3) में वर्णित है और वांछित मेडीकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले चालक को वाहन संचालन हेतु अयोग्य मानते हुए, उनके ड्राईविंग लाईसेंस को प्रत्याहरित (Revoke) कर सकता है अथवा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 186 के तहत ऐसे चालक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी कर सकता है।

अतः उपरोक्त प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञप्ति अधिकारी परिवहन चालक लाईसेंस (टी.वी. ड्राईविंग लाईसेंस) धारकों से यह अपेक्षा करेगा कि समस्त परिवहन चालक लाईसेंस (टी.वी. ड्राईविंग लाईसेंस) धारक प्रति वर्ष अपने स्वास्थ्य की जांच करवा कर, प्रारूप–1ए में मेडीकल प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा व लाईसेन्स के साथ, सक्षम अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु सदैव अपने साथ रखेगा।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार परिवहन वाहन के चालक को उसके लाईसेंस प्राप्त करने अथवा नवीनीकरण करवाने के समय अपना मेडिकल फिटनेस जांच प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है, परन्तु अब भविष्य में परिवहन चालक लाईसेंस के नवीनीकरण का आवेदन करते समय आवेदक को (दिनांक 01.01.2014) पूर्व वर्षों में कराये गये मेडिकल जांच–प्रमाण पत्रों को भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारियो को निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाकर परिवहन वाहनों के चालको को व्यवस्था के स्वरूप, महत्व, सड़क सुरक्षा संबंधी लाभ एवं दण्डात्मक प्रावधानो के साथ प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जावे तथा उपरोक्तानुसार लाईसेन्स नवीनीकरण के समय विगत वर्षों के दौरान करायी गयी मेडीकल जांच के मूल प्रमाण–पत्र, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से प्राप्त किए जावे।

इसी के साथ ही समय–समय पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 16 के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से परिवहन वाहन चालको की मेडीकल फिटनेस संबंधित जांच, चैकिंग

स्थल के निकटतम उपलब्ध, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 29.02.1996 द्वारा अधिसूचित चिकित्सक के माध्यम से करवाई जाकर, शारिरिक या मानसिक रूप से अनफिट पाये गये चालकों के ड्राईविंग लाईसेंस के विरूद्ध धारा 186 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही या धारा 16 के तहत निरस्ती की कार्यवाही नियमित रूप से की जावें एवं की गयी कार्यवाही की सूचना प्रति माह अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) को प्रेषित की जावे।

परिवहन आयुक्त
एवं अति0 मुख्य सचिव

क्रमांक : प. 7(51)परि/नियम/मु0/1995/पार्ट–I/15540-545 जयपुर, दिनांक : 24/12/12

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, श्रीमान् परिवहन आयुक्त एवं अति0 मुख्य सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक/अति0 प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर।
6. रक्षित पत्रावली।

24/12/12
उप परिवहन आयुक्त (नियम)